5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R 4057 - II-16

उपेन्द्र कुमार पिता श्री इन्द्रजीत ब्रा0 निवासी ग्राम खुटहा तहसील अमरपाटन जिला सतना म.प्र. ....निगराकार

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह एड० द्वारा आज दि 2-12-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

660
2-12-16

बनाम

1. चन्दादेवी पत्नी रमापति दुबे निवासी ग्राम खुटहा तहसील अंमरपाटन जिला सतना म.प्र.
2. भू–अर्जन अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन जिला सतना म.प्र.
3. मुख्य अभियंता एन.एच. 07 रीवा जबलपुर
4. प्रबंधक सड़क विकास प्राधिकरण लिमिटेड सड़क परिवहन राज्यमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली।

.................गैरनिगराकार

निगरानी / अभ्यावेदन विरूद्ध आदेश बावत आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के न्यायालयीन प्र.क्र. 360 / बी125 / 15–16 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2016 विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने बावत।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर-3

शासकीय अधिवक्ता
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर

मान्यवर,

निगराकार / अपी0 उपेन्द्र कुमार पिता श्री इन्द्रजीत ब्रा0 निवासी ग्राम खुटहा तहसील अमरपाटन जिला सतना म.प्र. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्र.क्र.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 4057–दो/2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–01–2017	आवेदक अधिवक्ता श्री डी0एस0 चौहान, अनावेदक कमांक 1 अभिभाषक श्री जे0एस0 गौड़ एवं अनावेदक शासकीय पैनल अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ उपस्थित। उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ मुख्य रूप से अनावेदक अभिभाषक ने यह तर्क दिया कि यह प्रकरण भूमि अधिग्रहण में हुये मआवजे से संबंधित होने से इस न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं है। जबाव में आवेदक अभिभाषक ने तर्क किया कि आयुक्त के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। शासकीय पैनल अधिवक्ता द्वारा भी इस न्यायालय में प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त अनावेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका कमांक 17931/16 डब्ल्यू पी में आदेश दिनांक 3–8–16 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन को 60 दिवस में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिवत निराकरण करने के आदेश पारित किये हैं। 3/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों को प्रचलनशीलता संबंधी तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि आवेदक द्वारा आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण कमांक 360/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक	

4–7–16 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है प्रश्नाधीन प्रकरण में भू–अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी ने भूमि के अर्जन के पश्चात मुआवजा राशि प्रदान करने संबंधी आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्ध आयुक्त ने आवेदक का आवेदन निरस्त किया है। इस प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार विधिअनुसार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। मान0 उच्च न्यायालय द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन को दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर निराकरण करने के आदेश दिये हैं। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में प्रकरण प्रचलित रखने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य